न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर अलवर(राज.)

अपील संख्या 12/101/2025

कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांकः 2025/254

प्रवेश तिथि :: 26.06.2025

अपीलार्थी — **बनाम** — **प्रत्यर्थी**

श्री राकेश कुमार वर्मा पुत्र श्री रामजीलाल वर्मा,
नि0 आदर्श विद्या मन्दिर के सामने, पूनम टॉकीज के पीछे,
दौसा (राज.)–303303

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 05.08.2025

1. उभयपक्ष अनुपस्थित, किन्तु प्रत्यर्थी को ओर से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ जिसे शामिल पत्रावली किया गया।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने इस कार्यालय को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत सूचना आवेदन दिनांकः 08.04.2025 प्रस्तुत कर, दिनांकः 07.04.2025 को राजस्थान पत्रिका के पृष्ठ सं. 2 पर प्रकाशितं समाचार "470 बीघा जमीन आवंटन के मामले में पूर्व एस.डी.एम. को चार्जसीट" पर जिला प्रशासन, अलवर द्वारा लिये गये निर्णय, नोटसीट व दोषियों की प्रमाणित सूची आदि की प्रति चाही गई थी।
4. सूचना नहीं मिलने के आक्षेप पर, अपीलार्थी द्वारा श्रीमान् संभागीय आयुक्त, जयपुर संभाग, जयपुर को प्रा0पत्र दिनांकः 13.05.2025 के माध्यम से प्रथम अपील प्रस्तुत की गई जो कि उनके पत्रांकः प. 15/संआज/सूअ.अ./प्रथम अपील/06063–7211649/566 दिनांकः 12.06.2025 के माध्यम से इस कार्यालय को सुनवाई हेतु अग्रेषित की गई जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया।
5. उक्त प्रथम अपील के अनुक्रम में प्रत्यर्थी को नोटिस जारी कर जवाब भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।
6. प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ किन्तु पत्र सं. लो.सू.अ./प्रथम अपील/2025/1061–62 दिनांकः 30.07.2025 जिसकी प्रति अपीलार्थी को भी पृष्ठांकित की गई है, के माध्यम से **जवाब नोटिस प्राप्त** हुआ जिसे अभिलेख पर लिया गया व **अपील में उठाये गये तथ्यों–प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब का परीक्षण** किया गया।
7. प्रत्यर्थी द्वारा उनके नियंत्रणाधीन संबंधित अनुभाग से सूचना प्राप्त कर, ऑनलाईन आरटीआई पोर्टल पर पत्र सं. 4313957682 दिनांकः 28.07.2025 के माध्यम से संसूचित किया जा चुका है।
8. प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी के सूचना आवेदन दिनांकः 21.04.2025 के परिप्रेक्ष्य में दिनांकः 28.07.2025 को विनिश्चय कर संसूचित किया है जो काफी विलम्ब से किया गया है। अतः भविष्य में उक्त अधिनियम, 2005 अंतर्गत प्राप्त आवेदनों पर विहित समयावधि में ही विनिश्चय कर सूचित किया जावे।
9. तथापि प्रत्यर्थी द्वारा किया गया विनिश्चय उचित एवं पर्याप्त है, उक्त आलोक में **अपील अस्वीकार** की जाकर निरस्तारित की जाती है।
10. आदेश की प्रति उभय पक्ष के साथ–साथ श्रीमान् संभागीय आयुक्त, जयपुर संभाग, जयपुर को प्रेषित हो।
11. आज दिनांकः 05.08.2025 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर ★ अलवर (राज0) ★

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर, अलवर (राज.)